

क्र.सं. ॥ (जा०)

सं. ७१७/१४-राजभाषा (सि०)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, आन गाँधी
नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 2000

राज्यलिय ज्ञान


15 FEB 2000

षय: - केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा सर्वग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

=====


उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा सर्वग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्र राजभाषा विभाग (सर्वग निपत्रक अधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित किए जाते हैं । आवेदन पत्र प्राप्ति की न्यूनतम तिथि निकट होने के कारण राजभाषा विभाग द्वारा पात्रता की जांच सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्रों का अग्रेषित कर पाना संभव नहीं होता है ।

उपरोक्त में सुधार और गति लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जो, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल है, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा सर्वग अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्रों की पात्रता जांचादि की जांच करके स्वयं अग्रेषित करें तत्पश्चात इस विभाग को कैंडर लीस्ट देने हेतु प्रति सूचित कर दी जाए ।


कृष्ण चन्द्र शिवास्तव
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. अतिरिक्त प्रतियां- 50



विषय: केंद्रीय सचिवालय, राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्र राजभाषा विभाग (संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी) के माध्यम से अग्रेषित दिए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि निकट होने के कारण राजभाषा विभाग द्वारा पात्रता की जांच संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित तिथि का आवेदन पत्रों का अग्रेषित कर पाना संभव नहीं होता है।

प्राचलन में सुधार और गति लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जो, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल है, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग बाह्य पदों हेतु आवेदन पत्रों की पात्रता इत्यादि की जांच करके स्वयं अग्रेषित करें तत्पश्चात इस विभाग को कैंडर क्लिरेंस देने हेतु प्रति पृष्ठांकित कर दी जाए।